प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो चित्तोड़गढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 147/23 दिनांक 11/6/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 193 समय 2:00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 09.06.2023 समय 01:58 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 29.05.2023 समय करीब 06:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – टाईपशुदा
5. घटना स्थल :
(1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **440** किलोमीटर
(2) पता – पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ......
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

<u>परिवादी</u>

(1) नाम : – श्री बाबुलाल
(2) पिता का नाम : – श्री लक्ष्मण नाथ
(3) आयु : – 32 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि.........जारी होने की जगह................
(6) व्यवसाय : – खेती
(7) पता : – – निवासी भणेज ग्राम पंचायत रतनपुरिया पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपुत उम्र 39 साल निवासी पचलासा तहसील आसपुर पुलिस थाना साबला जिला डुंगरपुर हालः– हैड कानि 476 पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
	भारतीय चलन मुद्रा	4500 रूपये	

परिवादी की पत्नि द्वारा पुलिस थाना सुहागपुरा में प्रस्तुत परिवाद की जांच करने की एवज में परिवादी से दिनांक 30.05.2023 को रिश्वत राशि 7000 रूपये मांग कर 2000 रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान लेना एवं ट्रेप दिनांक 09.06.2023 को शेष रिश्वत राशि परिवादी की व्यवस्था अनुसार 4500 रूपये आरोपी द्वारा ग्रहण करते हुये को गिरफ्तार किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 4500
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चित्तौडगढ।

विषय :– भ्रष्ट अधिकारी श्री यशवन्त सिहं हैड कानि0 पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ को रिश्वत राशि लेते हुये को पकडवाने बाबत ।

महोदय,

निवेदन है कि मुझ प्रार्थी बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण नाथ जाति नाथ निवासी भणेज ग्राम पंचायत रतनपुरिया, पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ राज0 मैने करिबन 3 वर्ष पहले मेने श्री शंकर पुत्र जीवणा नाथ से मेरे गांव में ही 50X50 का प्लाट लिया था जिसकी लिखापढी स्टाम्प पर की गई जिसमें प्लाट 50000 में खरिदा था करिब 7 दिन पहले में प्लाट पर जेसीबी से प्लाट पर कॉलम खुदवाकर कार्य शूरू करने वाला था और शंकर/जीवण ने आकर कार्य करने से रोक दिया व गाली ग्लोच व लडाई झगडा करने लगा जिसकी रिपोर्ट मेनें सुहागपुरा थाने में दिंनाक 23.05.2023 को दी थी इस रिपोर्ट में कार्यवाही करवाने हेतु यशवन्त सिहं हैड कानि थाना सुहागपुरा ने खर्चे पानी के 10000 रूपये मांग रहा और कह रहा है कि तेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करवानी है तो 10000 रूपये देने पडेगें नही तो तेरी कार्यवाही कई और से करावा ले ऐसा कहा में यशवन्त सिहं हैड कानिस्टेबल को 10000 रूपया नही देना चाहता हुं तथा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरी यशवन्त सिहं हैड कानि0 से कोई आपसी रंजीस नही है न ही कोई दुश्मनी है कोई लेन देन बकाया नही है कानूनी कार्यवाही करवावें ।

सलग्नः— पुलिस थाना सुहागपुरा में दिंनाक 23.05.2023 को पेश रिपोर्ट की बिना हस्ताक्षर शूदा छाया प्रति एवं प्लाट दिंनाक 21.06.2021 को 500रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी कि प्रति एंव आधार कार्ड कि छाया प्रतिया किता —03

दिंनाक 29.05.2023

एसडी/—
(बाबू लाल पुत्र लक्ष्मण नाथ)
निवासी भणेज ग्राम पंचायत
रतनपुरिया थाना सुहागपुरा
जिला प्रतापगढ
मो0न0 8290016610

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 05.06.2023 समय : 11.00 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 28.05.2023 को ट्रेनिंग सेन्टर सी.बी.आई. गाजियाबाद गया हुआ आज पुनः कार्यालय पर हाजिर हुआ। प्रकरण हाजा में दिनांक 29.05.2023 समय 6:15 पी.एम. पर जरीये मोबाईल कॉल के सूरजमल कानि. ने मेरे को बताया कि "थाना सुहागपुरा का हैड़ कानि. यशवन्त सिंह भणेज गांव के बाबूलाल नाथ से 10,000 हजार रूपये रिश्वत मांग रहा हैं परिवादी चौकी पर आया हैं उसने बताया की परिवादी दिनांक 23.05.2023 को थाना सुहागपुरा गया था। परिवादी की पत्नी ने एक परिवाद थाना सुहागपुरा में इस आशय का दिया था कि हमने शान्तिलाल नाथ निवासी भणेज से एक प्लॉट 50 हजार रूपये में खरीदा था उस पर हमने कब्जा भी ले लिया हैं उसका पुरा पेमेंट भी कर दिया हैं लेकिन अब विक्रेता पक्ष हमे डरा धमका रहा हैं कि या तो हमें रूपये और दो नहीं तो यह प्लॉट खाली कर दो इसी बात को लेकर अप्रार्थी पक्ष शान्तिलाल ने हमारे उपर 23.05.2023 को हमला भी कर दिया था जिसकी रिपोर्ट थाने मैं दर्ज करवाने गया था तो थाने सुहागपुरा का हैड कानि.यशवन्त सिंह परिवाद पर कार्यवाही हेतु 10 हजार रूपये रिश्वत मांग रहा हैं। इस पर परिवादी ने एक लिखित शिकायत भी की हैं जो मेरे पास हैं। अग्रीम कार्यवाही का निर्देश देवे। "

मामला रिश्वत लेनदेन का होने के कारण उसका वेरिफिकेशन आवश्यक था अतः तुरन्त उनि. राजेश कुमार भ्र.नि.ब्यूरो चित्तौडगढ को मामले में सत्यापन कराने के निर्देश जरिये टेलिफोन दिये। दिनांक 30.05.2023 को राजेश कुमार ने समय 11.52 ए.एम. पर थाना सुहागपुरा परिवादी के साथ पहुंच कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन किया । मुझे जरिये टेलिफोन अवगत भी कराया कि परिवादी ने 2000 हजार रूपये मोके पर ही मांगने पर यशवन्त सिंह हैड़ कानि. को दे दिये और आरोपी पांच हजार रूपये की अभी भी मांग कर रहा हैं मांग रिकॉर्ड कर ली गयी हैं, किन्तु परिवादी के पास रिश्वत में देने के लिये अभी पांच हजार रूपये नहीं हैं। जेसे ही उसके पास रूपये होंगे वह मुझे/सूरज को अवगत करा देगा ।

आज अभी कानि. सूरजमल नम्बर 247 हाजिर हैं सूरजमल ने परिवादी द्वारा पेश की गई शिकायत का लिफाफा पेश किया शिकायत का अवलोकन किया गया। राजेश कुमार ने रिश्वत मांग रिकॉर्डर पेश किया जिसे सुना गया तो रिश्वत मांग स्पष्ट सुनाई दी। सुरजमल ने बताया कि मुझे परिवादी ने कहा हैं अभी यशवन्त सिंह जी कहीं अवकाश या सरकारी काम से बाहर हैं। आते ही मुझे बता देंगे तब तक मैं रूपयो का भी प्रबन्ध कर लुगा। रिकॉर्डर को वापस सुरक्षित मालखाने

में रखवाया गया। शिकायत पर कार्यवाही पुलिस दर्ज की। परिवादी से कानि. सूरजमल ने जरिये मोबाईल वॉटसअप कॉल करा के सम्पूर्ण हालात से अवगत कराया। इसके बाद **दिनांक 08.06.2023 समय : 12.30 पी.एम. पर** कानि. सूरजमल भ्र.नि.ब्यूरो चित्तौडगढ़ में राजकार्य से उपस्थित हैं सूरजमल ने बताया की रिश्वत में दी जाने वाली राशी का परिवादी ने प्रबन्ध कर लिया हैं परिवादी को यशवन्त सिंह ने दिनांक 07.06.2023 को बुलाया था किन्तु वह रूपये का प्रबन्ध नहीं होने के कारण नहीं जा पाया। इसके बाद **समय : 06.00 पी.एम. पर** सम्पूर्ण हालात से उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज उदयपुर को अवगत कराया गया। एवं चौकी प्रतापगढ़ एवं चौकी चित्तौडगढ़ पर पुलिस निरीक्षक के पद रिक्त होने के कारण एक पुलिस निरीक्षक कार्यवाही सम्पादित करने हेतु भेजने हेतु निवेदन किया । तत्पश्चात **दिनांक : 09.06.2023 समय : 9:00 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा गवाह** श्री मनोज गोचर कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग नगर उप खण्ड चित्तौडगढ एवं श्री मोहम्मद उस्मान कुरैशी कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग वृत चित्तौडगढ उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद **समय : 10.00 ए. एम. पर** कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ पर श्री रतन सिंह राजपुरोहित पुलिस निरीक्षक एसीबी उदयपुर मुताबिक आदेश डीआईजी साहब हाजिर आये। इन्हे सम्पूर्ण हालात से अवगत करा परिवादी द्वारा पेश की गई एफआईआर सूपूर्द की एवं मालखाना से मांग सत्यापन डीवीआर सूपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता सुनने के निर्देश दिये । तदुपरान्त अग्रीम कार्यवाही हेतु श्री रतनसिंह को आवश्यक संशाधन, ट्रेप पार्टी, वाहन एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहन उपलब्ध करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। इसके बाद **समय : 10.20 ए.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित द्वारा ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं गवाहन का परिचय आपस में करवाया गया तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री मनोज गोचर कनिष्ठ अभियंता एवं श्री मोहम्मद उस्मान कुरेशी कनिष्ठ सहायक, ट्रेप सदस्य ओम प्रकाश हैड कानि नंबर 64, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514, श्री मान सिंह कानि 571, श्री शेर सिंह कानि चालक 296 मय सरकारी वाहन आरजे 14 युबी 8592 मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय डिजीटल वॉईस रिकार्डर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रतापगढ चौकी के लिये रवाना हुये। **इसके बाद समय : 12:05 पी.एम. पर** उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो चौकी चित्तोडगढ से रवानाशुदा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के प्रतापगढ चौकी पहुंचा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित हुए। जहां परिवादी बाबुलाल व चौकी का जाप्ता श्री सुरजमल कानि व श्री दिनेश कुमार कानि उपस्थित मिला। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहन का आपस में परिचय करवाया गया तो परिवादी ने अपना नाम बाबुलाल पुत्र श्री लक्ष्मण नाथ उम्र 32 साल निवासी भणेज ग्राम पंचायत रतनपुरिया पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ होना बताया तथा स्वतंत्र गवाहन ने अपना नाम मनोज गोचर पुत्र श्री राधेश्याम गोचर जाति गुंर्जर उम्र 29 साल निवासी हनुमान नगर दादाबाडी कोटा हालः– कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग नगर उप खण्ड चित्तौडगढ एवं मोहम्मद उस्मान कुरैशी पुत्र श्री गुलाम मोईनुदिन कुरैशी जाति कुरैशी उम्र 31 साल निवासी छिपा मोहल्ला गुर्जर बस्ती के पास देहल गेट चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग वृत चित्तौडगढ होना बताया जिस पर गवाह को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो दोनों गवाह द्वारा अपनी–अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर दोनों गवाह को परिवादी द्वारा दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र टाईपशुदा होना स्वीकार करते हुए शब्द–ब–शब्द सही होना बताकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाह के हस्ताक्षर करवायें गये। इसके बाद समय 12:15 पीएम पर परिवादी श्री बाबुलाल एवं आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि के मध्य के मध्य दिनांक 30.06.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री सुरज कानि0 से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा वार्ता की एक मूल एवं एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति की सीडी डब कराकर तैयार करवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क "ए" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। इसके बाद **समय 12:50 पीएम** पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री बाबुलाल से मांगने पर परिवादी ने व्यवस्थानुसार अपने पास से 500–500 रूपये के 09

नोट कुल 4500/— रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :—

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 VM 439945
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9RH 608117
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 UT 563024
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 QA 136144
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 KV 688856
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4 RQ 617656
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2 EA 040945
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6 PL 079907
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5 AN 463972

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री सुरजमल कानि. ब्यूरो चौकी प्रतापगढ को निर्देशित कर प्रतापगढ चौकी की फिनोफ्थलीन की शिशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 4500/— रूपयें के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री सुरजमल कानि से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज गोचर से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री सुरजमल कानि से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार से ट्रेप बॉक्स में रखी एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री सुरजमल कानि की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री सुरजमल कानि से बाहर नाली में फिकवाया गया एवं अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि को उनकी मांग अनुसार 4500/— रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयों, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री सुरजमल कानि. से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने—अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी—अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपियों के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन—देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने गले से साफी को उतारकर हाथ में लेना ईशारा करना निर्धारित किया जाकर यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री बाबुलाल को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई तत्पश्चात श्री सुरजमल कानि को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ पर रखने की एवं ब्यूरो चौकी

प्रतापगढ पर ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। इसके बाद **समय 01:07 पीएम** पर परिवादी श्री बाबुलाल के मोबाईल नंबर 8290016610 से आरोपी श्री यशवन्त हैड कानि के मोबाईल नंबर 9414567011 पर मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड पर कराकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई तो आरोपी श्री यशवन्त हैड कानि द्वारा परिवादी ने थाने पर आने के लिये पुछने पर आरोपी ने कहा "लेट आ रहा है बहोत .... ठीक आजा"। उक्त वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट बाद में मुर्तिब किया जाना सुनिश्चित किया गया। इसके बाद समय 01:15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित द्वारा ट्रेप पार्टी के सदस्यों मय स्वतंत्र गवाह श्री मनोज गोचर कनिष्ठ अभियंता एवं श्री मोहम्मद उस्मान कुरेशी कनिष्ठ सहायक, ट्रेप सदस्य ओम प्रकाश हैड कानि नंबर 64, मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स मय डिजीटल वॉईस रिकार्डर के श्री शेर सिंह कानि चालक 296 मय सरकारी वाहन आरजे 14 युबी 8592 के तथा परिवादी श्री बाबुलाल व श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 514, को परिवादी की मोटरसाईकिल से तथा श्री मान सिंह कानि 571, श्री दिनेश कुमार कानि को भी प्राईवेट मोटरसाईकित से आगे-आगे रवाना कर मुनासिब हिदायत की गई की सुहागपुरा कस्बे से पहले रूके। कार्यालय एसीबी प्रतापगढ से कस्बा सुहागपुरा के लिए रवाना हुए। **समय 01:45 पीएम** पर कस्बा सुहागपुरा से कुछ दुरी पहले थाने से करीब 01 किलोमीटर दुरी पर वाहनो को रोड के साईड में रोककर परिवादी श्री बाबुलाल को डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। इसके बाद **समय 01:47 पीएम** पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबुलाल को उनकी मोटरसाईकिल पर आरोपी को रिश्वत राशि देने के लिये आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरायान के सरकारी वाहन व मोटरसाईकिल से पीछे-पीछे रवाना हो थाने के आस-पास सरकारी वाहन व मोटरसाईकिल से उतरकर सभी अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे का इंतजार करते हुये खडे हुय इसके बाद समय करीब 01:58 पीएम पर परिवादी ने मेन गेट पर आकर निर्धारित ईशारा किया, जिसे मन् पुलिस निरीक्षक एवं गवाह श्री मनोज गोचर ने देखकर हमराहियान को ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन के परिवादी के पास पहुँचे तथा परिवादी ने वॉईस रिकार्डर बंद कर कानि0 श्री जितेंन्द्र सिंह को सुपुर्द किया तथा बताया कि आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि ने रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी पेन्ट की बांयी जेब में रखे हैं। जो पेन्ट टी-शर्ट पहने हुए गेहुंआ रंग एवं हष्ट पुष्ठ है। परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना सुहागपुरा के अन्दर प्रवेश किया परिवादी ने हाथ से ईशारा कर बताया कि हैड साहब ने स्वागत कक्ष में रिश्वत राशि ग्रहण कर थाना परिसर के पीछे की साईड क्वार्टर की तरफ गये है। जिस पर परिवादी के बताये अनुसार थाने के पीछे की साईड में गये तो एक व्यक्ति मोबाईल पर बातचीत करते दिखाई दिया जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा किया कि यही हैड साहब श्री यशवन्त सिंह जी हैं जिन्होंने मेरे से अभी-अभी रिश्वत राशि ग्रहण की है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी को अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए आने का मंतव्य से अवगत कराते हुये आरोपी को उसका परिचय पुछा तो आरोपी ने अपना नाम यशवन्त सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपुत उम्र 39 साल निवासी पचलासा तहसील आसपुर पुलिस थाना साबला जिला डुंगरपुर हालः- हैड कानि 476 पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ होना बताया। आरोपी को पीछे से साथ में लेकर थाना परिसर में द्वितीय अधिकारी के कक्ष मे ले जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई इसी दौरान मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की ओर ईशारा करते हुए आरोपी से पुछा कि अभी-अभी कुछ समय पहले परिवादी श्री बाबुलाल आपके पास आया और पुलिस थाने के स्वागत कक्ष में आपकों रूपयें दिये, आपने रूपये किस बात के लिए प्राप्त किये और क्यों प्राप्त किये। परिवादी का आपके पास क्या काम पेण्डिग है जिसकी एवज में आपनें रिश्वत राशि ली है जिस पर आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि एसीबी टीम को देख कर घबरा गया एवं पसीना-पसीना हो गया जिसे तसल्ली देते हुये पानी पिलाने के बाद आरोपी ने बताया कि परिवादी श्री बाबुलाल को मै पहले से जानता था। दिनांक 23.05.2023 को इसकी पत्नि श्रीमति प्रभा नाथ के नाम से परिवाद भुखण्ड विवाद संबंधित पेश किया जो कानि अशोक कुमार को जांच सुपुर्द की गई जिसका इन्द्राज परिवाद रजिस्टर मे है। मेरे पास परिवाद की जांच नहीं है मेरे को तो परिवादी श्री बाबुलाल ने कहा कि हमारे भुखण्ड संबंधित विवाद चल रहा है जिसमें कार्यवाही करवानी है इसलिये मैने राजीनामा कराने के लिये यह मेरे पास दिनांक 30.05.2023 से पहले आया था तब मैने खर्चा पानी के 10,000 रूपये मांगे थे इसके बाद यह मेरे पास जब दुसरी बार दिनांक 30.05.2023 को दिन में आया था तब इन्होने कहा कि कुछ राशि कम करो तब

मैने कहा कि 7000 कर देना तब इन्होने मुझे 2000 रूपये दिये थे और शेष 5000 रूपये बाद में दे दुंगा । इसका परिवाद कानि अशोक कुमार के जिम्मे है। जिससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है मैने खर्चा पानी के मेरे लिये मांगे थे और मेने ही प्राप्त किये है जो मेरे स्वयं के लिया जाना बताया गया जिस पर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से उक्त तथ्यों के संबंध में पुछा तो परिवादी ने बताया कि मेरी पत्नि द्वारा प्रस्तुत परिवाद मे हमारे आपस में राजीनामा हो गया है। मेरे को उक्त परिवाद की जांच किस पुलिस कर्मी के पास है मुझे इसकी सहीं जानकारी नहीं है। मैने तो जांच अधिकारी हैड साहब श्री यशवन्त सिंह जी को ही जान रखा है। और इन्होने ही मुझे दिनांक 30.05.2023 से पुर्व थाने पर आया था उस समय हैड साहब ही मिले थे इन्होने ही मुझे आश्वासन दिया था कि तेरे परिवाद में कार्यवाही करवा दुंगा खर्चा पानी के 10000 रूपये दे देना इसके बाद मैने ब्यूरो को शिकायत करने पर दिनांक 30.05.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने आया था तब हैड साहब से मेने निवेदन कर 7000 रूपये देना तय किया तब 2000 रूपये तो मैने मोके पर ही हैड साहब को दे दिये और शेष रिश्वत राशि 5000 रूपये और देना था परन्तु मेरे पास व्यवस्था 4500 रूपये की हो पाई थी जो मेने मांग अनुसार अभी–अभी थाने में आकर स्वागत कक्ष के अन्दर हैड यशवन्त सिंह जी को दिये है जो इन्होन अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर पहनी पेंट की जेब में रखे है और पेन्ट की जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर मुझे उसमे रखे रूपये होना बताकर वापस उनकी जेब में रख लिया। बाद में मै बाहर निकलकर थाने के मैन गेट पर जाकर आप ट्रेप पार्टी के सदस्यों को गले से साफी निकालकर हाथ में लेना पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि को पुनः तसल्ली देते हुये उक्त रिश्वत राशि ग्रहण करने का वास्तविक कारण पुछा तो आरोपी ने बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई है, क्षमा करो आईन्दा एसी गलती नहीं करूंगा।यह खर्चा पानी के रूपये मेने मेरे लिये ही है। उपरोक्त परिवादी एवं आरोपी के स्पष्टीकरण लिये जाने से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 द्वारा परिवादी से अवैध रूप से रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना बखुबी पाया जाने से आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच की गिलास गवाह श्री मनोज गोचर से निकलवाई जाकर दोनों गिलास में थाने में उपलब्ध पीने का पानी मंगवाया जाकर गवाह श्री मनोज गोचर से दोनो गिलास में साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलास में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाया गया तो दोनो गिलास का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल के एक गिलास में आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 के दाहिनें हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच.–1 व आर. एच.–2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 की निशादेही से स्वयं की पहनी हुई पेंट की बाई जेब में रखी रिश्वत राशि गवाह श्री मनोज गोचर से निकलवाई जाकर गिनवाई तो 500–500 रूपयें के 09 नोट कुल 4500 रूपयें होना पाये गये। जिनका मिलान गवाह श्री मनोज गोचर एवं श्री मोहम्मद उस्मान कुरेशी से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी नोट से करवाया तो उपस्थित के समक्ष हुबहू होना पाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 की निशादेही से बरामद हुई रिश्वत राशि 4500 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 की पहनी हुई पेन्ट मे से रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त पेन्ट को उतरवाया जाना है इसलिये आरोपी को दुसरी पेन्ट की व्यवस्था हेतु कहा गया तो आरोपी ने बैरक से अपनी दुसरी पेन्ट स्टाफ के सदस्यों से मंगवाई गई आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को सम्मान पुर्वक कमरे के दरवाजे खिड़की बंद कर पहनी हुई पेन्ट को उतरवा कर ससम्मान दुसरी पेन्ट पहनाई गई उक्त पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बॉक्स में सें एक अन्य कांच की गिलास में गवाह श्री मनोज गोचर से साफ पानी भरवाया गया तथा एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाया गया तो गिलास का रंग

अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल में पेंट की बायीं जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टा कर गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क पी–1 व पी–2 से चिन्हित कर सील्डचिट कर व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट बरंग किम, की बाई जेब को उल्टाकर सुखाया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया जाकर एक सफेद कपडें की थेली में सीलचीट कर मार्क "पी" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाया जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबुलाल की पत्नि द्वारा प्रस्तुत थाने में भुखण्ड के विवाद से संबंधित परिवाद पर कार्यवाही करने की एवज में आप द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग किये जाने के संबंध में पुछा तो आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 ने बताया कि साहब गलती हो गई अब मै कोई जवाब नहीं देना चाहता हुं। मेरा समय खराब था इसलिये मै पकड़ में आया हुं। उक्त परिवाद जांच मेरे पास नहीं है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त परिवादी की जांच किसके पास है एवं उक्त परिवाद में अब तक क्या जांच की गई हैं उक्त परिवाद से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी कर थानाधिकारी पुलिस थाना सुहागपुरा को दिया गया जिस पर थानाधिकारी द्वारा कार्यालय पुलिस थाना सुहागपुरा के पत्र कमांक 851 दिनांक 09.06.2023 द्वारा प्रकरण में वाछित रिकार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर हालात निवेदन किया कि थाने पर परिवाद दिनांक 23.05.2023 को आया था। तब थाने पर डिओ अधिकारी भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक था जिसने उक्त परिवाद को परिवाद रजिस्टर में इन्द्रांज कर परिवाद जांच हेतु कानि0 अशोक कुमार के जिम्मे किया गया। किन्तु उक्त कानि दिनांक 22.05.2023 को जयपुर इन्वेस्टीगेशन ऑफ साईबर काईम संबंधि प्रशिक्षण हेतु गया हुआ दिनांक 05.06.2023 बाद प्रशिक्षण. वापस आया बाद में पता किया तो ज्ञात हुआ कि संबंधित पक्षकारों द्वारा आपस में दिनांक 01.06.2023 राजीनामा कर चुके है। जिसकी प्रति मंगाकर परिवाद का निस्तारण कर दिया गया जिसका इन्द्राज परिवाद रजिस्टर में भी किया हुआ है। तथा कानि अशोक कुमार की रवानगी दिनांक 22.05.2023 समय 08:08 पीएम पर जयपुर कर रखी है जो रोजनामचाआम में अंकित है इसी प्रकार बाद प्रशिक्षण वापसी दिनांक 05.06.2023 को समय 09:40 एएम पर जयपुर से पुलिस थाना सुहागपुरा उपस्थित आया जो रोजनामचाआम में अंकित है। आज दिनांक 09.06.2023 का रोजनामचा प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो थाने पर आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि की उपस्थिति थाने में ही होना अंकित है। एवं रिश्वत राशि का लेन–देन के संबंध में परिवादी एवं हैड कानि के आपस में बातचीत करने संबंधि फुटेज की सीसीटीवी केमरे केद हुये है जिसकी विडीओ फुटेज को पेन ड्राईव में आप द्वारा चाहा गया जो आपको उपलब्ध करा दिया गया है एवं सीसीटीवी फुटेज के ब्लेक एण्ड व्हाईट फोटो की प्रति उपलब्ध कराई गई हैं। जिस पर मेरे द्वारा प्रमाणित की है तथा सीसीटीवी फुटेज का विडीयो का पेन ड्राईव उपलब्ध कराया गया जिसका 65 बी प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उक्त रिकार्ड का मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद अवलोकन समस्त रिकार्ड की प्रमाणित छाया प्रतियों पर मन पुलिस निरीक्षक एंव संबंधित के हस्ताक्षर करावाया जाकर फर्द जब्ती रिकार्ड पृथक से तैयार की जावेगी। फर्द हाथ धुलाई एंव रिश्वत राशि बरामदगी मुर्तिब कर संबंधितो हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद **समय 06:05 पीएम** पर आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार धारा 41 बी सीआरपीसी की पालना की जाकर गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बडे भाई श्री सज्जन सिंह के मोबाईल नंबर 9725449475 पर मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 9414267591 से दी गई। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री मनोज गोचर से लिवाई गई तो दौराने जामा तलाशी अभियुक्त श्री यशवन्त सिंह हैड कानि0 के कब्जे से एक मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी का गेलेक्सी ए 20 बरंग ब्ल्यू मिला जिसमें प्रयुक्त सीम के मोबाईल नम्बर 9414567011 (एयरटेल) व सीम के मोबाईल नंबर 8764858392 (बीएसएनएल) मिला इसके अलावा कोई संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। उक्त मोबाईल फोन को वजह सबूत पृथक से जरिये फर्द जब्त किया जायेगा। आरोपी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब की जामा तलाशी में एक सफेद लिफाफा मिला जिसमें 500–500 रूपये के 22 नोट कुल राशि 11000 रूपये मिले जिसके संबंध में आरोपी से पुछने पर आरोपी ने स्वयं के वेतन से निजी खर्च हेतु रखना बताया जिसे अमातन कब्जे ब्यूरो लिये गये। फर्द गिरफ्तारी एंव फर्द मोबाईल जब्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद

समय 6:15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहानों की मौजूदगी में आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि तथा परिवादी बाबुलाल की निशादेही से घटनास्थल का पूर्ण प्राकृतिक प्रकाश में फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद **समय 06:25 पीएम पर** मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहानों की मौजूदगी में आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि की उपस्थिति में पुलिस थाना बैरिक में आरोपी के निवास करने से बैरिक में रखे आरोपी के बक्से की तलाशी पूर्ण प्राकृतिक प्रकाश में लिवाई गई फर्द खाना तलाशी बैरिक थाना सुहागपुरा मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद **समय 06:35 पीएम** पर मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहानों की मौजूदगी में ट्रेप कार्यवाही में वांछित रिकार्ड प्राप्त किया गया जिसकी "फर्द जब्ती रिकार्ड" पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद **समय 06:45 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि के लेन–देन के समय आरोपी एवं परिवादी के मध्य रिश्वत राशि का आदान प्रदान पुलिस थाना सुहागपुरा के स्वागत कक्ष में हुआ। स्वागत कक्ष में लगे सीसीटीवी केमरे में केद घटना के सीसीटीवी फुटेज का विडीयो को पेन ड्राईव मे कॉपी कर पेन ड्राईव को वजह सबुत जब्त कर फर्द जब्ती पेन ड्राईव सीसीटीवी फुटेज पृथक से मुर्तिब कर शामिल फाईल की गई। इसके बाद समय 07:00 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी की जामा तलाशी में मिला मोबाईल सेमसंग कम्पनी मय सिम बरंग ब्ल्यू को वजह सबुत जब्त कर फर्द जब्ती मोबाईल फोन पृथक से मुर्तिब की गई। इसके बाद समय 08:00 पीएम पर** मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहानों एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि मय जब्तशुदा आर्टिकल जिसमें बरामदशदा रिश्वत राशि, शिल्डचिट शिशियां, जब्तशुदा आरोपी की पेन्ट शील्डचीट, जब्तशुदा मोबाईल एवं जब्तशुदा रिकार्ड व सीसीटीवी फुटेज का पेन ड्राईव व रिकार्ड के मय ट्रेप बॉक्स के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय डिवीआर मय सरकारी वाहन मय चालक एवं परिवादी श्री बाबुलाल को उनकी मोटरसाईकिल से रवाना बाद फारिक कार्यवाही के पुलिस थाना सुहागपुरा से रवाना एसीबी कार्यालय प्रतापगढ के लिये रवाना होकर समय करीब **08:30 पीएम** पर एसीबी कार्यालय प्रतापगढ पहुंचकर जब्तशुदा आर्टिकल एवं ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया । इसके बाद **समय 08:45 पीएम** पर परिवादी श्री बाबुलाल के मोबाईल नंबर 8290016610 से आरोपी श्री यशवन्त हैड कानि के मोबाईल नंबर 9414567011 पर समय 01:07 पीएम पर मोबाईल को लाउड स्पीकर मोड पर कराकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन के वक्त हुई वार्ता जिसे डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त दोनो वार्ताओं को चलाकर बारी–बारी से स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष परिवादी श्री बाबुलाल एवं आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि को सुनाया गया तो परिवादी श्री बाबुलाल एवं आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि ने अपनी–अपनी आवाज होना स्वीकार किया। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट करवाकर कानि0 श्री सुरजमल से मेरे निर्देशन में उक्त दोनो वार्ताओं की फर्द टांसक्रिप्ट मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्ता की एक मूल एवं एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति सीडी तैयार करवाई गई। फर्द टांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क "बी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। **इसके बाद समय 10:15 पी.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में कानि0 श्री सुरजमल कानि द्वारा लेपटोप से डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कनेक्ट करा ट्रेप कार्यवाही मे डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं मोबाईल वार्ता तथा रिश्वत राशी लेनदेन वार्ता की रिकार्डिंग वार्ताओं को एक पेन ड्राईव सेन्डिस्क 16 जीबी में अंतरित करा पेनड्राईव को एक कपडे की थेली में सीलबंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क "सी" अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब की गई। इसके बाद **समय 10:30 पीएम पर** इस समय आरोपी को तहरीर दी जाकर उनकी आवाज के नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहा गया तो आरोपी द्वारा अपनी अपनी आवाज का नमूना नहीं देने हेतु "आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हु" अंकित किया गया। आरोपी के प्रत्यूत्तर को शामिल पत्रावली किया गया। **इसके बाद समय 10:45 पीएम पर** मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार कानि0 श्री मान सिंह एवं श्री दिनेश कुमार को तहरीर देकर मय सरकारी वाहन मय चालक मय गिरफ्तारशदा आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि का स्वास्थ्य परीक्षण करानें हेतु राजकीय जिला चिकित्सालय प्रतापगढ एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण के गिरफ्तारशुदा आरोपी को रात्रि निगरानी हेतु दाखिल हवालात पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ जमा करवाने की हिदायत मुनासिब कर मय तहरीर के रवाना किया गया। इसके बाद **समय**

11:30 पीएम पर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करा आईआर रिपोर्ट प्राप्त कर बाद फारीक स्वास्थ्य परीक्षण के आरोपी को हमाराह लेकर पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ पहुंच जरीये तहरीर गिरफ्तारशुदा मुल्जिम को रात्रि निगरानी एवं सुरक्षा के हिसाब से दाखिल हवालात करा बाद प्राप्ति रसीद कार्यालय में उपस्थित हुए। हालात मन् पुलिस निरीक्षक को अर्ज कर परीक्षण रिपोर्ट मय पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया। इसके बाद **समय 11:45 पीएम पर** मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के कार्यवाही में उपस्थित परिवादी श्री बाबुलाल एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को बाद फारीक ट्रेप कार्यवाही के रूखसत किया। ततपश्चात दिनांक 10.06. 2023 को समय 11:50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसर कानि मान सिंह एवं कानि दिनेश कुमार मय सरकारी मय चालक को रात्रि निगरानी हेतु आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ को हवालात से प्राप्त करने हेतु रवाना किया। इसके बाद समय 12:40 पीएम पर आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि को दुरस्त हालत में पुलिस थाना कोतवाली प्रतापगढ से प्राप्त कर उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद समय 01:40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री ओम प्रकाश शर्मा हैड कानि, श्री जितेन्द्र सिंह कानि, श्री मान सिंह कानि मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री यशवन्त सिंह हैड कानि मय ट्रेप बॉक्स मय जब्तशुदा आर्टिकल एसीबी कार्यालय प्रतापगढ मे सुरक्षा की दृष्टी से रखे हुये को दुरस्त हालत में प्राप्त कर मय सरकारी वाहन मय कानि चालक श्री शेर सिंह के वास्ते माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर कमांक 01 पर पेश किये जाने हेतु मय रिमाण्ड एवं पत्रावली के रवाना उदयपुर हो उदयपुर पहुंच माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी को 15 योम जेसी आदेशित किया जाने पर नियमानुसार केन्द्रिय कारागार एवं सुधार गृह उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपुत उम्र 39 साल निवासी पचलासा तहसील आसपुर पुलिस थाना साबला जिला डुंगरपुर हालः– हैड कानि 476 पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बाबुलाल पुत्र श्री लक्ष्मण नाथ उम्र 32 साल निवासी भणेज ग्राम पंचायत रतनपुरिया पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ की पत्नि श्रीमति प्रभा द्वारा भुखण्ड के विवाद से संबंधित परिवाद पुलिस थाना सुहागपुरा में दिनांक 23.05.2023 को पेश किया जिसकी कार्यवाही करने की एवज में दिनांक 30.05.2023 को आरोपी द्वारा 7000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 2000 रूपये वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 5000 रूपये और दिया जाना था परन्तु परिवादी की व्यवस्था अनुसार 4500 रूपयें दिनांक 09.06.2023 को रिश्वत राशि ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपुत उम्र 39 साल निवासी पचलासा तहसील आसपुर पुलिस थाना साबला जिला डुंगरपुर हालः– हैड कानि 476 पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना उचित होगा।

भवदीय,

(रतन सिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर(एसयू)
हाल कैम्प
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तोडगढ

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर-एसयू हाल कैम्प भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ की प्राप्त हुई है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपूत निवासी पचलासा तहसील आसपुर, पुलिस थाना साबला, जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. 476, पुलिस थाना सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 147/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.6.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1107-10 दिनांक 11.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

11.6.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।